

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## सीमाशुल्कप्रधानआयुक्तकाकार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CUSTOMS हवाईअड्डाऔरएयरकार्गोकॉप्लेक्सआयुक्तालय / AIRPORT AND AIR CARGO COMPLEX COMMISSIONERATE

एयरइंडियासाट्सएयरफ्रीटटर्मिनल, दूसरातल, देवनहल्ली, बेंगलूर AIR INDIA SATS AIR FREIGHT TERMINAL 2<sup>ND</sup> FLOOR: KIAP: DEVANAHALLI BENGALURU- 560300.

लोक स्चना सं /PUBLIC NOTICE. NO.27/2020दिनांक/DATED:12.05.2020 दस्तावेज पहचान सं/DIN: 20200572MP00002T9421

विषय: लॉक डाउन अविध के दौरान सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 143

AA के अधीन व्यापार को सुविधा प्रदान करने के लिए

Subject: Measure to facilitate trade during the lockdown periodSection 143 AA of the Customs Act, 1962-reg.

सभी आयातकर्ता, निर्याकर्ता, सीमा शुल्क ब्रोकार्स और अन्य फणधारियों का ध्यान उपर्युक्त विषय के संबंध में सी.बी.आई.सी बोर्ड द्वारा एफ सं 473/02/2020-LC के तहत जारी किये गए दिनांक 03.04.2020 के परिपत्र सं 17/2020और इस कायारलय के दिनांक 17.4.2020 की लोक सूचन सं 18/2020 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें, कोविड19 महामारी के कारण सरकार द्वारा घोषित लाकडाउन के संदर्भ में , सीमा शुल्क निकासी के दौरान अपेक्षित बंध पत्र के बदले में वचन स्वीकृति करने की सुविधा प्रदान की गयी बशर्त कि परिपत्र में दिये गये शर्तों का अनुपालन हो। यह सुविधा दिनांक 21.04.2020 के परिपत्र द्वारा दिनांक 15.5.2020 तक बढाई गयी और तदनुसार दिनांक 23.4;2020 को लोक सूचना सं 19/2020 जारी की गयी।

Kind attention of all the Importers, Exporters, Customs Brokers and all other stakeholders is invited to the CBIC Board Circular No. 17/2020-Customs dated 03.04.2020 issued vide F. No. 473/02/2020-LC and this office Public Notice No.18/2020 dated 17.04.2020, wherein on the above-mentioned subject wherein relaxation was given, in the context of lockdown announcedby the Government due to COVID-19 pandemic, to accept an undertaking in lieu of a bondrequired during customs clearance, subject to conditions as underlined in the circular. Thefacility was extended till 15.05.2020 vide Circular 21/2020 dated 21.04.2020 and accordingly a Public Notice bearing No.19/2020 dated 23.04.2020 was issued.

दिनांक 4 मई 2020 से लाकडाउन की अविधि को बढाते हुए जारी किये गए गृह मंत्रालय के दिनांक 01.5.2020 के आदेश सं40-3/2020-DM-I(A) के संदर्भ में और लाकडाउन के समापन के बाद भी परिस्थिति सामान्य होने के लिए समय लगाने की संभावना को घ्यान में रखते हुए बोर्ड ने बंध पत्र के बदले में वचन स्वीकृति करने की सुविधा को दिनांक 30.5.2020 तक बढाने के लिए निर्णय लिया है । इसके फलस्वरूप , तत्कालीन रूप में सवीकृत किये जानेवाले वचन के बदले में उचित बंध पत्र की प्रस्तुति के लिए सयम 15.6.2020 तक बढाई जाती है । लाकडाउन अविध की समाप्ति के बाद बोर्ड द्वारा इस सुविधा की पुनरीक्षण किया जाएगा ।

In reference to MHA order 40-3/2020-DM-I(A)dated 01.05.2020, wherein the lockdown was further extended for two weeks with effect from 4th May,2020,and taking into consideration that it might take sometime after the end of the lockdown for the situation to normalise, the Board has decided to further extend the facility of accepting undertaking in lieu of bond for the period till 30.05.2020. Consequently, the date for submission of proper bond in lieu of which the undertaking is being temporarily accepted is extended till 15.06.2020. This relaxation will be reviewed by the Board at the end of the lockdown period.

दिनांक 03.4.2020 के परिपत्र सं 17/2020 में दिये गए शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं है । 3.

The conditions underlined in Circular No.17/2020 dated 03.04.2020 stand as they are.

अधिकारियों के लिए इस लाक सूचना में सूचित निर्णयों के आधार पर लेने वाली कार्रवाई के लिए यह स्थायी आदेश के रूप में लागू होगा।

Action to be taken in terms of decisions conveyed in this Public Notice should be considered as Standing Order for the purpose of Officers.

इस संबंध में कोई तकलीफ हो तो उसको, श्री एस नासर खान, अपर आयुक्त, दूर आषा सं 080-27688258 , एवं ई मेल पता <u>nasser.khan@nic.in</u>. में सूचित कर सकते हैं।

Difficulties, if any, may please be brought to the notice of Sri.S. Nasser Khan, Additional Commissioner, Telephone No.080-27688258 Emailnasser.khan@nic.in.

> 3121105 12/05/2021. अशोक /ASHOK)

प्रधान आयुक्त / PRINCIPAL COMMISSIONER

फाईल सं C.No.VIII/48/97/2020 BACC TECH द्वारा जारी किया जाता है / Issued from File C.No.VIII/48/97/2020 BACC TECH

प्रति प्रस्त्त

मुख्यआयुक्त, सीमाशुल्कबेंगलूरु, बेंगलूरुअंचल, केंद्रीयराजस्वभवन, बेंगलूरु / The Chief Commissioner of Customs, Bengaluru Zone, C.R. Building, Bengaluru

## प्रतिप्रेषित/Copy to::

- 1) सभीअपर/ संयुक्त/उप/सहायकआयुक्तएयरपोर्टएवंएसीसीआयुक्तालय/ All the ADCs/JCs/DCs/ACs, Airport & ACC Commissionerate, Bengaluru
- 2) फेडरेशनआफकर्नाटका, चेंबरऑफकामर्स, सं9996, केंपेगौडारोड, गॉधीनगर, बॅगलूरु Federation of Karnataka, Chamber of Commerce & Industry (FKCCI), No.9996, Kempegowda Road, Gandhinagar, Bengaluru
- 3. बेंगलूरुसीमाशुल्कबोकार्सएजेंटसंगटन, सं71., कार्गीविल्लेज, बी-ब्लाक, बेंगलूरुअंतर्राष्ट्रीयएयरपोर्ट,देवनहल्ली, बेंगलूरु / Bangalore 4)All Airlines through Association.
- 4. सभी एयर लाइंस उनके संगठन द्वारा/ All Airlines through Association 5)फेडरेशनआफइंडियनएक्सपोर्टआरर्गनाईसेशन, (एफ.आई.एफ.ओ, ) पहलातल, वी.आई.टी.सी, अवन, कस्तूरिबारोड, बेंगलूरु।Federation of Indian Export Organisation (FIEO),IstFloor,VITC Building, Kasturba Road, Bengaluru 6)सभी संरक्षकों/All Custodians.
  - 7. बेंगत्रसीमाशुत्कवेबसाईट /Bengaluru Customs Website 8)सूचनापट्ट /Notice Board.
- 9) बेंगलूरुसेप्रचलितसभीकोरियरएजेन्सी /All Courier Agencies Operating at Bengaluru (कोरियरसंगठ्नद्वारा/ through Courier Association) 10)मास्टरफाईल/ Master File